Govt. of Jharkhand
Department of Higher and Technical Education
Govt. Polytechnic, Nirsa
P.O- Deviyana, Nirsa, Dhanbad- 828205
(Formerly Mining Institute, Dhanbad)

सूचना

संस्थान के सभी शाखाओं के सत्र 2017–20 एवं सत्र 2018–2021 के पास आउट होने वाले छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के अन्तर्गत Apprenticeship Training प्राप्त करने हेतु इच्छुक छात्र माह फरवरी 2022 तक अपना–अपना Bio Data NATS के portal- www.mhrdnats.gov.in पर पंजीकृत करायेगें तत्पश्चात् माह मार्च 2022 में स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के उपरान्त इच्छुक छात्र/छात्रा अपना–अपना आवेदन संस्थान में जमा करेगें, Apprenticeship Training के अवधि में रू0 10000/– (दस हजार) प्रतिमाह देय होगा। विशेष जानकारी संस्थान के वेव साइट www.gpnirsa.org पर देखा जा सकता है।

Sd/-
प्राचार्य
रा0 पो0 निरसा

ज्ञापांक 200 निरसा, दिनांक 27/09/2021

प्रतिलिपि:– 1. संस्थान मुख्य सूचना पट/वेव साइट।
2. नोडल पदाधिकारी/प्रशिक्षण शाखा।

Sd/- 27.09.21
प्राचार्य
रा0 पो0 निरसा

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रांची-834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय :- व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उतीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को **Graduate Apprentices** एवं **Technician Apprentices** के रुप में प्रशिक्षण देने के संबंध में ।

व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को एक वर्ष के लिए विभिन्न Apprentices Scheme अन्तर्गत एक वर्ष हेतु प्रशिक्षण दी जाती है । कई राज्यों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों के उत्तीर्ण छात्रों को एक नियत छात्रवृत्ति देकर एक वर्ष के लिए क्रमशः Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रुप में प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे राज्य में भी इस व्यवस्था को लागू करने का आग्रह Board of Practical Training (Eastern Region) द्वारा किया जाता रहा है ।

2. इस अप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु, डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त छात्र, जो National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत करना होता है और चयन के उपरांत आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, संबंधित अधिनियम के तहत संस्थानवार कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10% तक की संख्या में चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर यह अधिकतम संख्या तय करने की छूट अब नियोक्ता को दे दी गयी है ।

3. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रुप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रु० 9,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए रु० 8,000 प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार द्वारा भुगतेय किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति Board of Practical Training (Eastern Region) द्वारा किया जाने का प्रावधान है । वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित Stipend की राशि काफी कम रहने के कारण भवन निर्माण विभाग, तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए उक्त तय न्यूनतम राशि रु० 9,000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु० 15,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु के लिए रु० 8,000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु० 10,000 प्रतिमाह किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार अपना राज्यांश के रूप में प्रति छात्र डिग्रीधारी प्रशिक्षु को रु० 10,500 (15,000 - 4,500) प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु

- के लिए रु० 6,000 (10,000 - 4,000) प्रतिमाह दे रही है। Stipend की राशि के संबंध मे तालिकावार विवरणी निम्न प्रकार है :-

01. Apprenticeship Rules 1992 as amendment in 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिमाह भुगतेय Stipend की राशि					
डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए देय राशि			डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए देय राशि		
BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रू०)	BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रू०)
4500	4500	9000	4000	4000	8000
बिहार सरकार के अनुरूप प्रतिमाह भुगतेय Stipend की राशि रू० 9000/- को बढाकर रू० 15,000/- तथा रू० 8000/- को बढाकर रू० 10,000/- करने की स्थिति में					
डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए देय राशि			डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए देय राशि		
BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रू०)	BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रू०)
4500	10500	15000	4000	6000	10000

4. राज्य के प्रत्येक राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शाखावार प्रयोगशाला / कर्मशाला / पुस्तकालय की व्यवस्था की गयी है और इसके लिए प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक तथा लाइब्रेरियन जैसे Supporting Staff के पद सृजित हैं। परन्तु, इनमे से अधिकतर पद विगत कई बर्षों से रिक्त रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने में अभी काफी समय लगने की संभावना है। साथ ही, विभागीय संकल्प सं० 2890 दि० 11.12.2015 के आलोक में संस्थानों के ऐसे रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत से Technical Supporting Staff प्राप्त करने हेतु कई बार एजेंसी चयन के लिए निविदा प्रकाशन के बाद भी योग्य प्रतिष्ठान का चयन आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए यदि झारखण्ड राज्य में भी यहाँ के वैसे छात्र जो राज्य के विभिन्न राजकीय तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं / कर्मशालाओं / पुस्तकालयों के लिए क्रमशः प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक तथा लाइब्रेरियन के पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों, उनका उपरोक्त Apprentices Scheme अन्तर्गत चयन कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे चयनित प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के जहां एक ओर व्यवहारिक ज्ञान में बृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में भी यह सरकार का एक सराहनीय प्रयास माना जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान ऐसे प्रशिक्षु छात्र उस संस्थान में अतिरिक्त Supporting Staff के तौर पर भी उपलब्ध होंगे।

5. वर्तमान में 04 नये पोलिटेकनिक संस्थानों यथा रा०पो० सिमडेगा, साहेबगंज, जगन्नाथपुर तथा रा०म०पो० दुमका में शिक्षकों का AICTE के नियमानुसार तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों का संस्थानिक शाखाओं के आधार पर पद का सृजन किया गया है, परन्तु पूर्व से संचालित कई संस्थानों हेतु पदों का सृजन उक्त नियमानुसार नहीं होने के कारण पूर्व से संचालित सभी 13 पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय के पदों का Re-structuring का कार्य किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय में पढाये जाने वाले शाखाओं को ध्यान में रखते हुए डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) की कुल संख्या का आकलन निम्न तालिकानुसार है :

	प्रति संस्थान प्रशिक्षुओं की संख्या	सभी संस्थानों हेतु प्रशिक्षुओं की कुल संख्या
अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु (क)	01. शाखावार दो डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) 02. शाखावार दो डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices), 03.विषय Library & Information Science के डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) – छः	राज्य के एक मात्र राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पढाये जाने वाले 10 शाखाओं के अनुसार कुल प्रशिक्षु की संख्या : 01. डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) = 02x10 06 = 26 02. डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) = 02x10 = 20
पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु (ख)	01. शाखावार एक डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) 02. शाखावार दो डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices), 03.विषय Library & Information Science के डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) – चार	राज्य के कुल सत्रह (17) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पढाये जाने वाले 67 (सभी शाखाओं का योग-67) के अनुसार कुल प्रशिक्षु की संख्या : 01. डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) = 01x67 04x17 = 135 02. डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) = 02 x 67 = 134
सभी संस्थानों हेतु = (क ख)	डिग्रीधारी प्रशिक्षु **(Graduate Apprentices)** **= 26 135 = 161** डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु **(Technician Apprentices) = 20 134 = 154**	

अर्थात प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कुल 161 डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा 154 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को Technician Apprentices अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा (परिशिष्ट 'क')। इसके तहत अध्ययनरत छात्र को प्रयोगशाला एवं कर्मशाला में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा। पुस्तकालय का दैनिक कार्य करने में सुविधा होगी।

डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए		
राज्य अंतर्गत एक अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 पोलिटेकनिक संस्थानवार शाखाओं का कुल योग (A)	राज्य में संचालित कुल 01 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 डिप्लोमा संस्थानों के अनुसार डिग्रीधारी प्रशिक्षु की संख्या (B)	देय राशि 10,500 प्रति माह प्रति प्रशिक्षु के अनुसार कुल राशि (वार्षिक) = B(161) x 10,500 x 12
77	161	Rs. 2,02,86,000/-
डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए		
राज्य अंतर्गत एक अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 पोलिटेकनिक संस्थानवार शाखाओं का कुल योग(A)	राज्य में संचालित कुल 01 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 डिप्लोमा संस्थानों के अनुसार प्रशिक्षु की संख्या (C)	देय राशि 6,000 प्रति माह प्रति प्रशिक्षु के अनुसार कुल राशि (वार्षिक) = C(154) x 6,000 x12
77	154	Rs. 1,10,88,000/-
161 डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा 154 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए कुल प्रति वर्ष संभावित देय राशि तीन करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र		Rs. 3,13,74,000/-

6. इस व्यवस्था के लागू करने की स्थिति में राज्य पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय अधिभार की गणना निम्न प्रकार है:-

7. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि :-

   i. व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) राज्य के छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रुप में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था झारखण्ड राज्य में भी लागू होगी ताकि इससे 161 डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा 154 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) को Stipend की राशि के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके ।

   ii. राज्य के कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इस संबंध में मार्च माह में ही सूचना प्रकाशित कर तकनीकी संस्थानों से विगत दो शैक्षणिक सत्रों में उत्तीर्ण छात्र, जो National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत हों, उनसे आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदकों के प्राप्तांक और राज्य में लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन करते हुए निदेशक (तकनीकी शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा प्रशिक्षु अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा । इस चयन में राज्य के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

   iii. डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृत्ति रू० 15,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 10,500/- शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृत्ति रू० 10,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 6,000/- शामिल है, दिया जायेगा । प्रति माह छात्रवृत्ति की अवशेष राशि यथा- डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4500/- एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4000/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।

   iv. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 3,13,74,000/- (तीन करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र) का वहन विभाग के राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-A7- प्रशिक्षण एवं विकास, संस्थानीय नेटवर्किंग और सहयोग मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा ।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दि० 27.07.2021 की कार्यवाही ज्ञापांक- रा० यो० प्रा० 70 दिनांक 02.08.21 द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय। ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- त०शि०प्र०विविध-33/17 /राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस) झारखण्ड, डोरंडा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- त०शि०प्र०विविध-33/17 /राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:- त०शि०प्र०विविध-33/17 765 /राँची, दिनांक:- 17.08.21

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रांची/निदेशक, बी० आई० टी० सिंदरी / सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/विभाग के सभी पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/8/21

सरकार के अपर मुख्य सचिव